न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 107/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 7.9.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 रामकरण पुत्र रामकिशन जाति कुल्मी पाटीदार निवासी ग्राम नयापुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)।

... अपीलार्थी

बनाम

1 सरंपच ग्राम पंचायत झुमकी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झालरापाटन जिला झालावाड।
3 कृष्णगोपाल पुत्र प्रभूलाल जाति कुल्मी पाटीदार निवासी ग्राम नयापुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अरूण कुमार जेन अभिभाषक रेस्पो0 कम–1
श्री चन्द्रमोहन शर्मा रेस्पो0 कम–3

–:::निर्णय:::–

दिनांक 9.1.2018

1 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मु0 ग्राम पंचायत झूमकी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 139/प्रार्थना पत्र/14 बउनवान रामकरण वगेरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत झूमकी आदि अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 6.6.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर अपील धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की है।

2 अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत झूमकी ने ख0 नं0 440 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत झूमकी के खाते मे से 3 बीघा राजकीय प्राथमिक विघालय नयापुरा के खेल मैदान हेतु आवंटन एवं 01 बीघा 10 बिस्वा कार्यालय के उपरयोग हेतु एवं 6 बिस्वा भूमि मकानो के नियमन हेतु बावत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 मे पेश किया गया जिसे प्रकरण 139/10 प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर स्वीकार कर दिनांक 21.12.2010 को उक्त 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म गैरमुमकिन आबादी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित करने पर भूमि की किस्म परिवर्तन करने का धारा 136 एलआरएक्ट मे विधि अनुसार प्रावधान नही होने के आधार पर उक्त आदेश को न्यायालय हाजा मे चुनोती दी गई जिसे स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.12.2010 खारिज कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को

प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने नियत तारीख पेशी 5.5.2016 को पेशी मे न लेकर दिनांक 6.6.2016 को अवैधानिक रूप से प्रकरण का निस्तारण कर पूर्व आदेश दिनांक 21.12.2010 यथावत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है क्योंकि उक्त तिथी को अपीलांट उपस्थित नही था केवल सरपंच की उपस्थिति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत नही है। लोक अदालत केम्पों मे दौनो पक्षो की सहमति या लिखित राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणो का निस्तारण करने का अधिकार है आदेशिका 6.6.2016 से स्पष्ट है कि प्रकरण के निस्तारण मे अपीलांट की कोई सहमति नही थी ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2013 पर गौर नही किया जो अवैधानिक है। धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानो मे भूमि की किस्म बदलने का कोई प्रावधान निहित नही है। केवल लिपिकीय त्रुटि जिसे हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें उसे ही दुरूस्त किया जा सकता है इस बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। जो आराजी स्कूल को दी गई है उस से अपीलांट का कोई संबध नही है परन्तु शेष आराजी मे अपीलांट व अन्य व्यक्तियों के मकान बने हुये है विभिन्न नियमो के तहत अपीलांट के मकान नियमन के जत मे आते है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस और भी ध्यान नहीं दिया अतः जेरअपील निर्णय दिनांक 6.6.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 6.6.2016 निरस्त किया जावे। विवादित आराजी ख0 नं0 440 की 4 बीघा 16 बिस्वा पूर्ववत गैर मुमकिन आबादी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस मे प्रकट किया कि सरपंच ग्राम पंचायत झूमकी द्वारा रेवेन्यू केम्प 2.12.10 को धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजी मे से खेल मैदान हेतु एवं 01 बीघा 10 बिस्वा कार्यालय के उपरयोग हेतु एवं 6 बिस्वा भूमि मकानो के नियमन हेतु आवंटन करने का पेश किया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 21.12.10 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि किसी विघालय, कार्यालय का आवेदन नही है सारी भूमि सिवायचक दर्ज है। दिनांक 21.12.2010 को नामान्तरकरण आदेश की अपील माननीय न्यायालय मे की गई। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा प्रकरण रिमांड किया गया अधीनस्थ न्यायालय ने नियत तारीख पेशी 5.5.2016 को पेशी मे न लेकर दिनांक 6.6.2016 को अवैधानिक रूप से प्रकरण का निस्तारण कर पूर्व आदेश दिनांक 21.12.2010 यथावत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है क्योंकि उक्त तिथी को अपीलांट उपस्थित नही था केवल सरपंच की उपस्थिति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत नही है। लोक अदालत केम्पों मे दौनो पक्षो की सहमति या लिखित राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है। आदेशिका 6.6.2016 से स्पष्ट है कि प्रकरण के निस्तारण मे अपीलांट की कोई सहमति नही थी ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2013 पर गौर नही किया। धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानो मे भूमि की किस्म बदलने का कोई प्रावधान निहित नही है ना ही एसडीओ को किस्म बदलने का अधिकार है। केवल लिपिकीय त्रुटि जिसे हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें उसे ही दुरूस्त किया जा सकता है इस बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1980 पेज 315, आरआरटी 2015 (1) पेज 10, आरआरटी 2011 (1) पेज 6, आरबीजे 2016 पेज 363 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि उपखण्ड अधिकारी के केम्प कोर्ट मे अभिभाषक उपस्थित रहे है। अपीलांट द्वारा अपील लगभग डेढ वर्ष बाद पेश की है जो मियाद बाहर है। प्रकरण मे

मुख्यतया विवाद्यक 6 बिस्वा का है जिसके संदर्भ मे इनकी कोई अपील नही है। उक्त आदेश से अपीलांट एग्रीव्वड पर्सन नही है । धारा 96 सीपीसी के तहत न्यायालय से अपील पेश करने की परमिशन नही ली है। जेरअपील आदेश सार्वजनिक हित से संबधित है जिसको चेलेन्ज करने का अपीलांट को कोई विधिक अधिकार नही है। मकान आदि होने का कोई प्रूफ नही है ऐसी स्थिति मे अपीलांट का कोई लोकसस्टेडाई नही है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 2017 पेज 574 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3 ने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के कथन से सहमत होना जाहिर किया।

7 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया। रेस्पो0 अभि0 ने अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

8 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर विचार किया जाकर पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं जेरअपील निर्णय तथा प्रश्नगत प्रकरण मे उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मजमेआम मे प्रार्थीगण व लेण्ड होल्डर तहसीलदार झालरापाटन को सुना जाकर पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे प्रशासन गांव के संग अभियान–2010 मे सार्वजनिक एवं जनउपयोगी हितार्थ जारी किये गये आदेश संख्या–राजस्व/अभियान/2010/709 दिनांक 21.10.2010 न्यायोचित होने से यथावत रखा है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ''जेरअपील निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है। लोक अदालत केम्पों मे दौनो पक्षो की सहमति या लिखित राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है। धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानो मे भूमि की किस्म बदलने का कोई प्रावधान निहित नही है''। अपीलांट का उक्त तर्क विधिसम्मत नही है क्योंकि जेरअपील निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रश्नगत प्रकरण मे प्रार्थीगण/अपीलार्थी राजकीय भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमी होना प्रकट है। ऐसी स्थिति मे उक्त वर्णित भूमि राजकीय भूमि होने से अपीलांट को उक्त भूमि पर विधिक तौर पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपीलांट का तर्क विधिसम्मत नही होने से, स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित तथ्यो का अवलोकन कर जेरअपील निर्णय 6.6.2016 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

9 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

10 निर्णय आज दिनांक 9.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा